Board of Revenue For Rajasthan Ajmer
सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	अपील/एल आर/5213/2005/गंगानगर **गुरनाम कौर बनाम राजस्थान सरकार**	

05-3-18

एकल–पीठ
श्री धूकलराम कसवॉ, सदस्य

उपस्थितः–
(1) श्री अमृतपाल सिंह, अधिवक्ता प्रार्थी।
(2) श्री वीरेन्द्र पंवार उप राजकीय, अधिवक्ता अप्रार्थी

निर्णय दिनांक :

यह अपील राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 (संक्षेप में अधिनियम) की धारा 76 के अन्तर्गत राजस्व अपील प्राधिकारी श्रीगंगानगर के निर्णय दिनांक 21–9–05 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई हैं।

2– प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि तहसीलदार रायसिंहनगर ने जिला कलेक्टर श्रीगंगानगर के समक्ष एक प्रतिवेदन इस आशय का पेश किया कि लखु सिंह पुत्र केसरजी को चक 21 पी एस के मु. नं. 4 की 12बीघा 10 विस्वा भूमि वर्ष 1961 में आवंटन हुई थी जिसका बेचान उसके द्वारा खातेदारी सनद प्राप्त किये बिना दिनांक 18–11–69 को कृष्ण लाल के पक्ष में कर दिया इसलिये राजस्थान उपनिवेशन अधिनियम की धारा 13 में कार्यवाही की जावे। उक्त प्रकरण अतिरिक्त जिला कलेक्टर सतर्कता श्री गंगानगर द्वारा दर्ज किया गया। क्षेत्राधिकार परिवर्तन होने पर यह प्रकरण अतिरिक्त जिला कलेक्टर श्रीगंगानगर को प्राप्त होने पर उनके द्वारा दिनांक 26–5–95 विवादित भूमि को बहक सरकार रिज्यूम करने के आदेश दिये। जिसके विरूद्ध राजस्व अपील प्राधिकारी श्रीगंगानगर के न्यायालय में अपील प्रस्तुत होने पर प्रकरण इस निर्देश के साथ रिमाण्ड किया कि राज्य सरकार द्वारा शमन फीस जमा कराने की मियाद बढा दी है एवं नियमानुसार शमन फीस जमा करा दी जाती है तो नियमानुसार नियमन की कार्यवाही की जावे। तत्पश्चात अतिरिक्त जिला कलेक्टर ने बाद सुनवाई दिनांक 30–3–02 को चक 4 पी एस के मु.नं.4 के कि0नं0 13 से 15 की 2 बीघा 10विस्वा में फेंगमेन्ट में बेचान दिनांक 8–7–76को प्रथम क्रेता किशन लाल द्वारा प्रीतम सिंह के पक्ष में

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **<u>अपील/एल आर/5213/2005/गंगानगर</u>** **<u>गुरनाम कौर बनाम राजस्थान सरकार</u>**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

करने एवं रजिस्टर्ड बयनामा दिनांक 5–2–76 के द्वारा मु. नं. 4 के कि0नं. 21से 25 की 4बीघा 10 विस्वा का गुरनामाकौर को गैर खातेदारी के दौरान फेगमेन्ट के रूप में करने के कारण उक्त भूमि बहक सरकार रिज्यूम करने के आदेश पारित किये एवं इसी मु.नं.4 के कि.नं. 16 से 20 की 5बीघा भूमि के अन्तरण को विधिमान्य घोषित करने का आदेश पारित किया। उक्त 7 बीघा भूमि को बहक सरकार रिज्यूम करने के विरूद्ध अपीलार्थी ने राजस्व अपील प्राधिकारी श्रीगंगानगर के न्यायालय में अपील प्रस्तुत की जिन्होंने अपने निर्णय दिनांक21–9–05 से अपील खारिज कर दी। इससे व्यथित होकर यह द्वितीय अपील मण्डल के समक्ष प्रस्तुत की गई है।

3– उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्तागण की बहस सुनी गई।

4– अपीलार्थी के विद्वान अभिभाषक ने अपील मीमो में अंकित तथ्यों को बहस के दौरान दोहराते हुये तर्क प्रस्तुत किया कि दिनांक 11–11–92को फ्रेगमेन्ट समाप्त किया जा चुका है जिसके बाद शमन शुल्क जमा कराया जाना भी आवश्यक नहीं है। इसलिये विवादग्रस्त आराजी का जो बेचान हुआ है वह फ्रेगमेन्ट के प्रावधानों के अन्तर्गत नहीं आता है। दोनों अधीनस्थ न्यायालयों ने धारा 42 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की आड लेकर आदेश पारित किये हैं। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 42 के अन्तर्गत विधिमान्य घोषित करने का प्रावधान नहीं होना मानकर निर्णय पारित किया है। अपीलार्थी द्वारा शमन शुल्क जमा कराये जाने के बाद नियमन की जानी चाहिये थी। उनका तर्क है कि अपीलार्थी के विरूद्ध शुरू में गैर खातेदारी के बेचान को लेकर जो कार्यवाही धारा 13 राजस्थान कोलोनाइजेशन अधिनियम के तहत की गई थी वह भी विधिक प्रावधानों के विपरीत है क्योंकि धारा 13(1) जो गैर खातेदारी की भूमि को कलेक्टर की इजाजत लेकर बेचान करने से सम्बन्धित है अब इस प्रावधान को दिनांक 22–4–91को कोलो.एक्ट से हटा दिया गया है। इस प्रकार जो कार्यवाही की गई है वह अधिनियम से हटाये गये प्रावधानों के तहत की गई है। इसलिये अपीलार्थी द्वारा जो भूमि खरीद की गई है वह किसी भी तरह

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **अपील/एल आर/5213/2005/गंगानगर** **गुरनाम कौर बनाम राजस्थान सरकार**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

से धारा 13 के किसी भी नियम अथवा प्रावधान के विपरीत नहीं है। इसलिये दोनों अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा पारित आक्षेपित निर्णय निरस्त किये जाकर वादग्रस्त आराजी अपीलार्थी के पक्ष में नियमन किये जाने के आदेश प्रदान किये जावें।

5– बहस के खण्डन में विद्वान उप राजकीय अभिभाषक ने दोनों अधीनस्थ न्यायालयों के समवर्ती निष्कर्ष बताते हुये अपील खारिज करने का निवेदन किया और तर्क प्रस्तुत किया कि विवादित 7बीघा भूमि का बेचान फेगमेन्ट एवं गैर खातेदारी का हुआ है जिसका राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के अन्तर्गत विधिमान्य घोषित करने का कोई प्रावधान नहीं है। इसलिये इसका नियमन नहीं हो सकता।

6– हमने उभय पक्ष के विद्वान अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया।

7– पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि किशन लाल द्वारा प्रीतम सिंह के पक्ष में दिनांक 8–7–76 को चक 4 के कि.नं.13 से 15 की 2बीघा 10 विस्वा भूमि का एवं रजिस्टर्ड बयनामा दिनांक 5–2–76 द्वारा मु.नं.4 के कि.नं.21 से 25 की 4बीघा 10विस्वा भूमि का अपीलार्थी के पक्ष में किया गया है। उस समय यह भूमि गैर खातेदारी में दर्ज थी।गैर खातेदारी की भूमि का बेचान होने से राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 42 में नियमन का कोई प्रावधान नहीं है। निर्विवाद रूप से विवादित भूमि लखु सिंह पुत्र केसर जी को वर्ष 1961 में आवंटन हुई थी जिस पर उसे केवल गैर खतोदारी अधिकार प्राप्त थे। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 41 के तहत गैर खातेदार को आराजी विक्रय करने अथवा हस्तान्तरित करने का कोई अधिकार नहीं है। राजस्थान उपनिवेशन अधिनियम 1954 में यह स्पष्ट प्रावधान है कि कोई आसामी टीनेन्ट उसे आवंटित की गई या नीलामी पर दी गई आराजी का जिला कलेक्टर की लिखित स्वीकृति बिना किसी अन्य व्यक्ति को विक्रय, दान, विनिमय नहीं कर सकेगा। धारा 13 में यह भी प्रावधित है कि ऐसा व्यक्ति खातेदारी अधिकार प्राप्त करने के पश्चात ही ऐसी आराजी को

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **अपील/एल आर/5213/2005/गंगानगर** **गुरनाम कौर बनाम राजस्थान सरकार**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

किसी अन्य व्यक्ति को पांच वर्ष की अवधि से अधिक अवधि के लिये सबलेट नहीं कर सकेगा। धारा 13(2) के प्रावधानों अनुसार यदि ऐसा व्यक्ति उपधारा(1) के प्रावधानों की अवहेलना कर ऐसी आराजी का हस्तान्तरण करता है तो ऐसा हस्तान्तरण शून्य होगा एवं हस्तान्तरी को जिला कलेक्टर के आदेश पर बेदखल किया जा सकेगा। राजस्थान उपनिवेशन अधिनियम 1954 में नई धारा 13 ए जोडी गई है जो दिनांक 5–5–83 से प्रभावशील हुई है। उक्त धारा 13 ए के अनुसार जिला कलेक्टर को यह अधिकार दिया गया है कि वह किसी खातेदार आसामी द्वारा किये गये हस्तान्तरण का नियमन प्रशमन शुल्क लेकर कर सकते हैं। किन्तु इसके लिये ऐसे खातेदार आसामी को अथवा उसके हस्तान्तरी को अवधि के अन्दर प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक है। अतः स्पष्ट है कि केवलमात्र खातेदार आसामी द्वारा किये गये आराजी के हस्तान्तरण को ही नियमन किये जाने का प्रावधान धारा 13 ए में है व गैरखातेदार द्वारा किये गये आराजी के हस्तान्तरण का नियमन किये जाने का प्रावधान उक्त धारा में नहीं है। इस विधिक स्थिति को ध्यान में रखते हुये हम दोनों अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा निकाले गये समवर्ती निष्कर्षो में द्वितीय अपील के स्तर पर बिना किसी ठोस आधार के हस्तक्षेप करना उचित नहीं समझते हैं।

8– उपरोक्त विवेचन के अनुसरण में अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील सारहीन होने से खारिज की जाती है।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(धूकलराम कसवाँ)
सदस्य